उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (लेखा) अनुभाग-1

संख्या- 4/2019/ए-1- 181/दस-2019-10(55)/2017

लखनऊ, दिनांक: 22 फरवरी, 2019

कार्यालय- ज्ञाप

रू0 10.00 लाख से अधिक की धनराशि के चिकित्सा अग्रिम स्वीकृति के प्रकरणों में प्रशा0विभाग द्वारा पत्रावली सम्बन्धित वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग के माध्यम से वित्त (लेखा) अनुभाग-1 को सन्दर्भित की जाती है। अग्रिम आहरण के सम्बन्ध में बजट की उपलब्धता से सम्बन्धित वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग ही भिज्ञ होता है।

2- अत: सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि रू0 10.00 लाख से अधिक की धनराशि के चिकित्सा अग्रिम स्वीकृति के प्रस्तावों पर प्रशा0विभाग के सम्बन्धित वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग द्वारा अपने स्तर से सुसंगत नियमों एवं चिकित्सा अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या-2275/5-6-11-1082/87, दिनांक 20 सितम्बर, 2011 द्वारा निर्गत उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 एवं (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 व (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत परीक्षण करते हुये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

अजय कुमार शुक्ला

सचिव, वित्त।

संख्या- 4/2019/ए-1- 181(1) /दस-2019-10(55)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) वित्त विभाग के समस्त अनु सचिव/ उप सचिव/ संयुक्त सचिव/ विशेष सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन।

(3) समस्त वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग।

(4) समस्त वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग।

आज्ञा से,

पंकज सक्सेना

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।